MOST URGENT

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(3)रोल / निर्वा / SSR-2018/2017/6177 **दिनांक** 2-11-2017

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : **अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – दिनांक 15 एवं 30 नवम्बर, 2017 के मध्य चलाए जाने वाले विशेष अभियान के संबंध में।**

प्रसंग : **इस विभाग का पत्र क्रमांक 6065 दिनांक 26.10.2017 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक** 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2016 **दिनांक 25.10.2017 एवं दिनांक 27.10.2017, 30.10.2017 एवं 31.10.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 6065 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में किए गए संशोधन से आपको अवगत कराया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बीएलओ को दिनांक 15 से 30 नवम्बर, 2017 के मध्य घर–घर जाकर मतदाताओं से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न सूचनाएँ मौके पर ही संकलित करेंगे तथा मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र भी प्राप्त करेंगे।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **"मतदाता सूचियों के प्रबन्धन"** के विषय में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। इस संबंध में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं अंग्रेजी भाषा (हिन्दी अनुवाद यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा) में इस अभियान से संबंधित निर्देशिका तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, का अवलोकन करें। विशेष अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा स्मार्ट फोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाने है।

3. बीएलओ के पास स्मार्ट फोन की उपलब्धता के विषय में आयोग के निम्न विकल्प है –

1. ऐसे बीएलओ जिनके पास स्वयं का स्मार्ट फोन है उन्हें इस अभियान के लिए एक मुश्त 500 / –रू0 मानदेय के रूप में दिए जावें।

2. ऐसे बीएलओ जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है उन्हें स्मार्ट फोन क्रय करने हेतु एक मुश्त 1500 / –रू0 का अनुदान एवं तीन वर्ष के लिए मोबाईल फोन चार्ज करने हेतु 250 / –रू0 देय होंगे, बशर्ते वह लगातार तीन वर्ष तक इस मोबाईल फोन का प्रयोग करेंगे।

3. इसके अतिरिक्त राज्य के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यथा 152–उदयपुर ग्रामीण, 153–उदयपुर, 154–मावली, 189–कोटा उत्तर एवं 190–कोटा दक्षिण का चयन किया गया है। जहाँ पर विभाग द्वारा प्रत्येक बीएलओ को स्मार्ट मोबाईल फोन उपलब्ध कराया जाना है।

4. इस विषय में विभाग द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए गए है। चूंकि आयोग के निर्देशानुसार राज्य के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्मार्ट मोबाईल फोन के माध्यम से शत–प्रतिशत रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है, वहीं दूसरी ओर अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी यह कार्यवाही तद्नुसार सम्पादित की जानी है, इसलिए इस पत्र के साथ संलग्न प्रर्फोमा भी विधानसभा क्षेत्रवार बीएलओ के पास उपलब्ध स्मार्ट मोबाईल फोन/ अनुदान राशि के आधार पर कय करने वाले बीएलओ की संख्या आदि के विषय में सूचना कल **दिनांक 3 नवम्बर, 2017 अपरान्ह् 1.00 बजे वीसी से पूर्व ईमेल के माध्यम से आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि तद्नुसार वित्तीय आंकलन किया जाकर बजट प्रावधान कराया जा सके।**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः प.3(3)(3)रोल/निर्वा/SSR-2018/**2017/** **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
2. अति0 निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

प्रर्फोमा

जिले का नाम ———————

क्रसं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीएलओ की संख्या	ऐसे बीएलओ जिनके पास स्वयं का स्मार्ट फोन है, जिनको 500/–रू0 एक मुश्त मानदेय दिया जाकर कार्य करवाया जा सकता है।	ऐसे बीएलओ जिनके पास स्वयं का स्मार्ट फोन नहीं है, अनुदान देकर स्मार्ट मोबाईल फोन क्रय करने एवं1500/–रू0 के अनुदान एवं 250/–रू0 प्रतिवर्ष चार्ज की राशि प्राप्त कर तीन वर्षो के लिए कार्य करने को तैयार है, की संख्या।	विशेष

नोट :– उक्त सूचना सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें उदयपुर एवं कोटा जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित है, के लिए तैयार की जानी है।